



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1215/2025

महंत कुमार

...याचिकाकर्ता/कर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विनय त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अशोक कुमार वर्मा, मोहन सिंह, वैभव मिश्रा

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना।

2. श्री जगदंबा प्रसाद मौर्य, जो क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 30 सितंबर 2025 को ईट भट्टे का निरीक्षण किया और पाया कि वह बंद था और वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। इसके बाद, उन्होंने दिनांक 27.12.2025 को पुनः ईट भट्टे का निरीक्षण किया और वही स्थिति पाई। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की कि क्या इससे पहले भी ईट भट्टा बंद था, क्योंकि बंद करने का आदेश दिनांक 15.07.2021 को पारित किया गया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तथ्य का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके द्वारा दायर संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।

3. जैसा भी हो, चूंकि उक्त अधिकारी द्वारा आज ईट भट्टे के बंद होने के संबंध में एक शपथपत्र दायर किया गया है, तदनुसार हम इस मामले का निस्तारण करते हैं, हालांकि, संबंधित निकाय, अर्थात् उत्तर प्रदेश प्रदूषण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिये सतर्क करते हैं कि जहां भी बंदी आदेश जारी किए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाए।

4. इस संदर्भ में, हम इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 20773/2014 (सुमित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 01.05.2024 को पारित निर्णय और समन्वय पीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 756/2019 (संतोष कुमारसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 12.04.2019 को पारित एक अन्य निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। हम उसमें निहित टिप्पणियों/निर्देशों का पुनर्कथन करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सभी प्रचालित बंदी आदेशों को क्रियान्वित करने का निर्देश देते हैं। भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

5. उपस्थित अधिकारी हमारे आदेश को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सचिव को अनुपालन हेतु संसूचित करेंगे।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

7 जनवरी, 2026

एमवीएस